

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्रा अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1	परियोजना विवरण :-	
i.	अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	रिलायंस जियो इफोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा जगदलपुर से भानपुरी तक भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु 0.699 हेक्टर वनभूमि की आवश्यकता है।
ii.	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।
iii.	परियोजना की लागत	8000000.00 (अस्सी लाख)
iv.	वन क्षेत्रा में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने से बेहतर आधुनिक सुविधा प्राप्त हो जायेगे
v.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	आवश्यक नहीं है।
vi.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है	स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु संरक्षित वन 0.296 , आरक्षित वन 0.153 हेक्टर, ऑरेज एरिया निरंक एवं राजस्व वनभूमि 0.250 हैं. कुल 0.699 हेक्टर अपेक्षित है।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	निरंक
i.	परिवार की संख्या।	निरंक
ii.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	निरंक

I.	परिवार की संख्या।	निरंक
II.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	निरंक
III.	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	निरंक
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं है।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत जमा करने हेतु वचनबद्ध है। वचनबद्धता कंडिका क्रमांक -09 संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।

तिथि :-

स्थान:-



(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़